

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/3956/

जबलपुर, दिनांक 07/10/2020

श्रीमती कान्ती सोनी, कोर्ट अटेंडन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को कर्तव्य पर बिना सूचना/आवेदन पत्र के तथा बिना अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 14.09.2020 एक दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक B/3957/

जबलपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती कान्ती सोनी, कोर्ट अटेंडन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.